न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 44/2023
जी.सी.एम.एस. नं.: 2023/49

1. गुरभेज सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 2 जे.एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र अमरीक सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 2 जे.एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. सन्दीप सिह पुत्र गुरदीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 2 जे.एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री नरेश पुरी, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री बक्शीश सिंह थिन्द, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1–2**
3. **राजपैरोकार**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 24.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थी द्वारा मूल वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 के नाम से संयुक्त खाता में भूमि वाके चक 2 जे.एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 11 प.न. 134/351 का कि.न. 21/1 का 0.1260 है. मु.न. 18 प.न. 134/352 का कि.न. 1/1, 9,10,11,20,21/1 का 1.3160 है. कुल 1.4420 है. कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 का खाता संख्या 18 में है जिसमें प्रार्थी के नाम से 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका प्रार्थी अकित खातेदार है। चूंकि प्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमि में सहखातेदार है इसलिए प्रार्थी अनवानी वाद लाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है जिस कारण से प्रार्थी को अपने हिस्सा की भूमि को काश्त करने में आबयाना अदा करने, पानी बारी लगाने, सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने, भूमि सुधार करने में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडता है इसलिए प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण से समय समय पर सम्पर्क कर उन्हे किलावाईज विभाजन करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण के द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा कि जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो एकत्र होकर तहसीलदार के समक्ष ब्यान देकर पृथक पृथक दर्ज करवा लेगे घबराने की कोई बात नहीं है जिस पर प्रार्थी ने सद्भावी विश्वास कर लिया एंव समय व्यतित होता रहा है। अर्सा करीब 10 रोज पूर्व अप्रार्थीगण खेत मे कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर आए और प्रार्थी के कब्जा काश्त की सुधरी हुई भूमि दिखाकर विक्रय प्रस्ताव [illegible] प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा कि आप बिना विधिक विभाजन करवाये [illegible] किसी भाग को विक्रय या [illegible]य प्रकार से अन्तरित नहीं कर [illegible] चले गये किन्तु आज से दो रोज पूर्व कि.न. 21 जो कि रास्ता [illegible] है में प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में प्रवेश के लिए रास्ता की जगह है पर मकान नि[illegible] करने के लिए सामग्री गिरवानी प्रारम्भ कर दी जिस पर प्रार्थी ने पंचायत [illegible] अप्रार्थीगण को समझाया व वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना किसी विशिष्ट हिस्सा पर कोई निर्माण आदि करने व प्रार्थी के कब्जा काश्त में मदाखलत करने से बाज रहने व अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि

खण्ड अधिकारी
विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:31:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किस्म अनुसार खाला, रास्ता आदि सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि किलावाईज विभाजन करवाकर पृथक पृथक दर्ज करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार करते हुए ऐलानिया धमकी दी कि वे अपना दर्ज हिस्सा को अन्य किसी गुण्डा प्रवृति व्यक्ति को विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थी को प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की भूमि से महरूम एंव बेदखल कर देगा एंव सुधरी हुई भूमि पर जवरन बलपूर्वक विधि विरूद्ध तरीको से अन्य व्यक्तियों को काबिज कर देगा बस यही तारीख बिनाए मुखासमत वाद कारण है। यदि अप्रार्थीगण अपने विधि विरूद्ध कृत्यो में कामयाव हो जाते है तो प्रार्थी को अपने कब्जा काश्त की भूमि से महरूम एंव बेदखल होना पडेगा जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारो का हनन होगा एंव प्रार्थी को अपनी अथाह मेहनत एंव धन खर्च कर संवारी, सुधारी गयी कब्जा काश्त की सुधरी हुई भूमि से महरूम होना पडेगा व काश्त में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडेगा तृतीय पक्षकार के हित सृजित होने से प्रार्थी को काश्त में भारी असुविधा होगी एंव न्याय में अनावश्यक विलम्ब होगा जबकि अप्रार्थीगण के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एंव पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर होकर अन्दरमियाद पेश है । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने कि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि या इसके किसी भाग को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने प्रार्थी के कब्जा काश्त में मदाखलत पैदा करने या भूमि के किसी विशिष्ट भाग पर निर्माण आदि करने या अप्रार्थीगण स्वंय अथवा अपने किसी हित प्रतिनिधि के माध्यम से कोई निर्माण, बाधा पैदा करने से बाज एंव ममनू रहे एवं मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1–2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के वाद में सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रश्नगत भूमि मे प्रार्थी का सहखातेदार होना स्वीकार है, अप्रार्थीगण के द्वारा कभी भी विधिक विभाजन से इन्कार नहीं किया गया है। कि.न. 21 की भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही किसी प्रकार प्रार्थी को किसी बाहमी बंटवारा में प्राप्त ही हुआ है। बल्कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के मध्य हुए बाहमी बंटवारा में चक 2जे.एस.डी. का मु.न. 18 प.न. 134/352 का कि.न. 20, 21 का 0.481 है. भूमि संदीपसिंह के कब्जा काश्त में है एंव मु.न. 11 में कि.न. 21/1 का 0.1260 है. व मु.न. 18 का कि.न. 9 का 0. 2530है. किन. 1/1 का 0.076 है. व किन. 10 का 0.0260है. भूमि मुझ अप्रार्थी गुरदीपसिंह का है एंव मु.न. 18 का कि.न. 10 का 0.227 है. किन. 11 का 0.2530है. भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है इसी अनुसार ही काबिज चले आ रहे है व कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन से कभी इन्कार नहीं किया गया है। प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नुकसान या असुविधा नहीं है। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर हम अप्रार्थीगण अपने हिस्सा की भूमि को सुधारने, सरकारी योजनाओ का [illegible] से वंचित हो जावेगे इसलिए व अनेक प्रकार की परेशानियों का सा[illegible] करना पडेगा जबकि प्रार्थी को किसी प्रकार की [illegible] प्रथम दृष्टया प्रकरण भी हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी को [illegible] को कोई क्षति, असुविधा नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर अपूर्णीय क्षति, असुविधा हम अप्रार्थीगण को होगी इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जवाब खर्च अप्रार्थीगण को दिलवाया जाने हेतु निवेदन किया।

ण्ड अधिकारी
विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:31:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि संयुक्त खाता में है जिसमें प्रार्थी सहखातेदार है व अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी भूमि का रिकार्डेड खातेदार होने से भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है, यदि भूमि अन्यत्र रहन बैय अन्तरण हो जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण भी भूमि के सहखातेदार है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रश्नगत भूमि का बाहमी बंटावारा अनुसार काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण ने भूमि का विभाजन करवाने से कभी इंकार नहीं किया है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो अप्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अप्रार्थीगण भूमि के खातेदार है यदि निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो अप्रार्थीगण को क्षति होगी। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 विवादित भूमि के खातेदार है तथा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज हैं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी द्वारा भूमि के विभाजन के अनुतोष पर आधारित वाद पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब पत्र में अभिलिखित किया है कि अप्रार्थीगण ने भूमि के विभाजन से कभी इंकार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि अप्रार्थीगण भूमि के सहखातेदार है इसलिए खाता विभाजन से पूर्व संयुक्त खाता की प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का समान अधिकार है। रिकार्डेड टिनेन्ट के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित नहीं है। यदि निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो भूमि के खातेदारान के खातेदारी एवं विधिक अधिकारों का हनन होगा ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति के बिन्दू स्वयं के पक्ष में प्रमाणित करने में विफल रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

—: आदेश :—

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:31:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner